



कार्यालय प्राचार्य स्व. ठाकुर महाराज सिंह शासकीय महाविद्यालय थानखम्हरिया जिला – बेमेतरा (छ.ग.)



EMAIL ID - thankhamariya123@gmail.com

ESITE - www.govtcollegethankhamaria.in

पत्र क्र / 558 / अति.व्या. / 2025

दिनांक 21 / 08 / 2025

// अतिथि व्याख्याता हेतु विज्ञापन //

—000—

आयुक्त उच्च शिक्षा संचालनालय के आदेश क्रमांक 289/01/आउशि /राजस्था./2025 नवा रायपुर अटल नगर दिनांक 23.07.2025 के आदेशानुसार अतिथि व्याख्याता नीति-2024 के अंतर्गत स्व. ठाकुर महाराज सिंह शासकीय महाविद्यालय थानखम्हरिया, जिला-बेमेतरा (छ.ग.) में रिक्त प्राध्यापक (राजनीति विज्ञान) पद के विरुद्ध अतिथि व्याख्याता हेतु आवेदन आमंत्रित किया जाता है। इच्छुक तथा योग्य उम्मीदवार दिनांक 28.08.2025 को सांय 05 बजे तक पंजीकृत डाक से अथवा स्वयं महाविद्यालय कार्यालय में उपस्थित होकर समस्त प्रमाण पत्र एवं आवश्यक दस्तावेज के साथ आवेदन कर सकते हैं। चयन प्रक्रिया अतिथि व्याख्याता नीति 2024 के परिपालन में किया जायेगा। अतिथि व्याख्याता नीति-2024 का अध्ययन महाविद्यालय के सूचना पटल/वेबसाइट www.govtcollegethankhamaria.in से किया जा सकता है रिक्त पद का विवरण निम्नानुसार है :-

क्रमांक	विषय	प्राध्यापक
01	राजनीति विज्ञान	1

टीप:- निर्धारित तिथि के पश्चात् प्राप्त आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जायेगा ।

आवश्यक शैक्षणिक एवं अन्य अर्हता

- अतिथि व्याख्याता का कार्य करने के लिए न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों में शैक्षिक कर्मचारी की नियुक्ति हेतु न्यूनतम अर्हता तथा उच्चतर शिक्षा में मानकों के रखरखाव हेतु अन्य उपाय) संबंधी विनियम 2018 के प्रावधान के अनुरूप होगी इस व्यवस्था के अंतर्गत अतिथि शिक्षक सहायक/अतिथि ग्रंथपाल सहायक के लिए स्नातकोत्तर स्तर पर न्यूनतम 55 प्रतिशत अंक होने चाहिए। परंतु अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं दिव्यांगजन अभ्यर्थी के लिए स्नातकोत्तर स्तर पर न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक होने चाहिए।
- आयु सीमा अतिथि व्याख्याता/अतिथि शिक्षक सहायक अधिकतम 65 वर्ष तक अतिथि ग्रंथपाल / अतिथि ग्रंथालय सहायक अधिकतम 62 वर्ष तक।
- छत्तीसगढ़ के मूल अभ्यर्थी को प्राथमिकता दी जायेगी।
- आवेदन के साथ मूल निवासी प्रमाण पत्र 10वीं, 12वीं, स्नातक, स्नातकोत्तर, सेट/नेट, एम. फिल, पी.एच.डी. अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न करें।
- अंतिम तिथि तक महाविद्यालयों में प्राप्त आवेदनों पर नियमानुसार मेरिट सूची तैयार की जायेगी एवं गुणानुक्रम के अनुसार अंतिम सूची में दावा आपत्ति की तिथि 30.08.2025 तक रहेगी ।
- अंतिम सूची का प्रकाशन दिनांक 02.09.2025 को किया जायेगा। जिसका अवलोकन महाविद्यालय की वेबसाइट अथवा सूचना पटल में किया जायेगा।
- आमंत्रित अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करने के समय इस आशय का शपथ पत्र देना होगा की संबंधित के विरुद्ध पुलिस/न्यायालय में कोई अपराधिक प्रकरण विचाराधीन नहीं हैं अभ्यर्थी किसी अन्य शासकीय/अर्द्धशासकीय सेवा में नहीं हैं एवं पूर्व में किसी विश्वविद्यालय/महाविद्यालय में शिकायत/कार्य संतोषजनक नहीं पाये जाने के आधार पर अभ्यर्थी की सेवाएं समाप्त नहीं की गई है।
- आवेदन उपरान्त संबंधित आमंत्रित चयनित अभ्यर्थी यदि समय सीमा में कर्तव्य स्थल पर उपस्थित नहीं होता है तो उसे उस दशा में अगले चरण में सम्मिलित नहीं किया जायेगा। अतिथि व्याख्याता एवं अन्य की सेवाएं भविष्य में नियमितीकरण का आधार नहीं बनेगी।
- आवेदन बंद लिफाफे के ऊपर पत्राचार का पता प्राचार्य, स्व. ठाकुर महाराज सिंह शासकीय महाविद्यालय थानखम्हरिया, जिला – बेमेतरा (छ.ग.) एवं आवेदित विषय/पद आवश्यक रूप से

11. इस विज्ञापन के तहत व्यवस्था किये गये अतिथि व्याख्याता एवं अन्य को महाविद्यालयीन स्थापना के अंतर्गत नहीं माना जायेगा, और वे लोक सेवक की विधि विहित परिभाषा के अंतर्गत लोक सेवक नहीं कहलायेंगे।
12. अतिथि व्यवस्था के अंतर्गत देय मानदेय निम्नानुसार होगा :-

क्रमांक	विवरण	अतिथि व्याख्याता	अतिथि शिक्षण सहायक
(अ) 40-45 मिनट के एक व्याख्यान के लिये			
1	40-45 मिनट के एक व्याख्यान के लिये	400 /-	300 /-
2	चर कालखण्डों के लिये प्रतिदिन अधिकतम मानदेय	1600 /- (41600 /- प्रतिमाह अधिकतम)	1200 /- (30000 /- प्रतिमाह अधिकतम)
(ब) 60 मिनट के एक व्याख्यान के लिये			
3	60 मिनट के एक व्याख्यान के लिये	500 /-	350 /-
4	चार कालखण्डों के लिये प्रतिदिन अधिकतम मानदेय	2000 /- (50000 /- प्रतिमाह अधिकतम)	1400 /- (35000 /- प्रतिमाह अधिकतम)
(स) दैनिक मानदेय			
5	विवरण	अतिथि ग्रंथपाल/क्रीड़ा अधिकारी	अतिथि ग्रंथपाल सहायक/अतिथि क्रीड़ा सहायक
	दैनिक मानदेय (प्रति दिवस न्यूनतम 07 घण्टा कार्य अवधि)	1600 /- (40000 /- प्रतिमाह अधिकतम)	1200 /- (30000 /- प्रतिमाह अधिकतम)

13. संस्थान में इस व्यवस्था के अंतर्गत कार्यरत, यदि लगातार 15 दिवस तक अनुपस्थित रहता है तो उसकी व्यवस्था स्वतः समाप्त हो जायेगी। जिसकी कार्यवाही संबंधित संस्था प्रमुख द्वारा की जायेगी।
14. इन्हे सर्वत्र अनुशासन बनाये रखना होगा तथा संस्था प्रमुख के निर्देशों को पालन करना अनिवार्य होगा।
15. कक्षाओं के संचालन के साथ-साथ संस्था प्रमुख के निर्देशानुसार अध्यापन के अतिरिक्त कार्य यथा प्रवेश, परीक्षा, छात्र संघ चुनाव, योजनाओं का संचालन, साहित्यिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम, क्रीड़ा गतिविधियां, युवा उत्सव, आंतरिक कक्षाओं का संचालन, एवं मूल्यांकन, नैक मूल्यांकन, संबंधित कार्यों में ये सहयोग प्रदान करेंगे।
16. यदि कार्य अवधि के शैक्षणिक सत्र में इनकी अध्यापन कार्य संबंधी अथवा अन्य शिकायतें प्राप्त होती है तो सेवाएं तत्काल समाप्त की जा सकेंगी तथा वे आगामी शैक्षणिक सत्रों में अध्यापन कार्य हेतु पात्र नहीं होंगे।


Principal
 स्व. डा. महासिंह शास महाविद्यालय
 थानखम्हरिया जिला बेमेतरा
 Dist- Bermetara (C.G.)

पृ.क्रमांक / 559 / अतिथि व्याख्याता / 2025

प्रतिलिपि:-

- कार्यालय आयुक्त उच्च शिक्षा संचालनालय नया रायपुर (छ.ग.) को सादर सूचनार्थ।
- क्षेत्रीय अपर संचालक, विज्ञान महाविद्यालय परिसर रायपुर (छ.ग.)।
- प्राचार्य अग्रणी स्नात्कोत्तर शासकीय महाविद्यालय बेमेतरा (छ.ग.) को सादर सूचनार्थ।
- समस्त प्राचार्य (महाविद्यालय.....) छ.ग. को विज्ञापन सूचना पटल पर प्रसारित करने हेतु सूचनार्थ।
- वेबसाईट..... में अपलोड है।


Principal
 स्व. डा. महासिंह शास महाविद्यालय
 थानखम्हरिया जिला बेमेतरा
 Dist- Bermetara (C.G.)